

52

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF NOTIFICATION NO. STV(TE)B(2)4/85-II  
DATED 15-10-1987 AS REQUIRED UNDER CLAUSE(2) OF ARTICLE 348 OF  
THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH  
DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION  
VOCATIONAL & INDUSTRIAL TRAINING.

No. STV(TE)B(2)4/85-II      Dated Shimla-2, the 15<sup>th</sup>, October, 1987.

### NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh, Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Instructor Weaving in the Department of Technical Education, Vocational & Industrial Training, Himachal Pradesh as per Annexure "A" attached to this notification:-

Short title &  
Commencement.

- 1.(i) These Rules may be called the Himachal Pradesh, Technical Education, Vocational and Industrial Training Department, Recruitment and Promotion Rules 1987 for the post of Instructor Weaving.
- (ii) These shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

Rules.

2. The number of posts, classification, pay scale, qualification and method of Recruitment etc, for the post of Instructor Weaving shall be as specified in the Annexure "A".

Repeal and  
Saving.

3. The Recruitment and Promotion Rules for the post of Instructor Weaving notified vide Industries Department Notification No. 1-150/69-SI(Estt), dated 23rd Jan., 1970, are hereby repealed;

Provided that such repeal shall not effect the previous operation of the

contd/2—

-----2-----

said Rules or anything done or any action taken thereunder.

By order

Attar Singh  
Financial Commissioner-cum-Secretary  
(Technical Education, Vocational &  
Industrial Training) to the Government  
of Himachal Pradesh.

15/10

Endst. No. STV(TE)B(2)4/85-II, Dated Shimla-2, the October, 1987.

Copy forwarded to the:-

1. Secretary, H.P; Public Service Commission, Shimla-171002 for information with three spare copies with reference to his letter No. 6-3/71-PSC, dated 24-1-1987 and 3.6.1987.
2. The Joint Secretary(Personnel ) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2.
3. All Administrative Secretaries, H.P; Government, Shimla-2, for information.
4. All Head of Departments in Himachal Pradesh.
5. The Director, Technical Education, Vocational & Industrial Training, H.P; Sundernagar, Distt. Mandi for information and necessary action with ten spare copies.
6. The Deputy Controller, H.P; Press, Shimla-5 for publication in Rajparta(Extra ordinary), 70 copies of the notification be supplied to this Department.
7. Deputy Legal Remeberancer, Himachal Pradesh, Government, Shimla-2.

Under Secretary(TE) to the  
Government of Himachal Pradesh.

"K.C.SHARMA"

(16)

ANNEXURE-A

Recruitment and Promotion Rules for the Post of Instructor Weaving in the Department of Technical Education in H.P. Government.

- 1. Name of the Post: Instructor Weaving.
- 2. Number of posts. 5 (Five)
- 3. Classification: Class-III (Non-gazetted).
- 4. Scale of Pay: Rs. 620-1200.
- 5. Whether selection post or non-Selection post. Non-Selection.
- 6. Age for direct recruitment: Between 18 to 32 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on ad-hoc or contract basis.

Provided further that if a candidate appointed on ad-hoc basis become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such ad hoc or contract appointment.

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/other categories of persons to the extent permissible under the general or special order of the Himachal Pradesh Government.

Provided further that the employees of all the public sectors corporations and autonomous bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/autonomous bodies at the time of initial constitution of such corporation/autonomous bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Govt. Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public sector corporation/autonomous bodies who were/are subsequently appointed by such corporations/autonomous bodies and are/were finally absorbed in the service of such Corporations autonomous bodies after initial constitution of the public corporations/autonomous bodies.

Note-1 Age limit for the direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the posts are advertised for inviting applications or notified to employment exchanges as the case may be.

Contd., P/2.

Note: 2. Age and experience in the case of direct recruitment are relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh, Public Service Commission in case of the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.

- ESSENTIAL:
- i. Matric or its equivalent from a recognised University Board.
  - ii National Trade Certificate in the Trade concerned of equivalent recognised/ issued by NCVT
  - iii) Atleast two years experience in the Industrial Training Institute or in an Industrial concern of repute.

DESIRABLE:

1. Preferably with CTI Training of one year duration.
2. Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
3. Period of probation, if any.
4. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.
5. In case of recruitment by promotion, deputation/ transfer, grades from which promotion/deputation/transfer is to be made.
6. If a Departmental promotion Committee exists, what is its composition.
7. Circumstances under which the H.P. Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

ii. Desirable Qualifications.

Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

Age: N.A.

Educational Qualifications:NA.

Two years subject to such further extension for a period no exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

100% by direct recruitment.

Not applicable.

As required under the Law.

Contd. 4/-

~~12. If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.~~

~~It may be constituted by the Govt. from time to time.~~

~~13. Circumstances under which the H.P. Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.~~

~~As required under the law.~~

~~14. Essential Recruitment for direct Recruitment:~~

~~A candidate for appointment to any service or post must be:-~~

- (a) A citizen of India, or
- (b) A subject of Nepal, or
- (c) A subject to Bhutan, or
- (d) A Tibetan refugee who come over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

~~(a) a person of India origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malva, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India;~~

~~Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility is issued by the Govt. of India.~~

~~A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Govt. of India.~~

~~15. Selection for appointment to post by direct recruitment:~~

~~selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of written test, if the H.P. Public Service Commission or other recruiting authority so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard syllabus etc. of which will be determined by the Commission or other recruiting authority as the case may be.~~

~~16. Reservation:~~

~~The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes, Scheduled Tribes/Backward Classes, other categories of persons issued by the Govt. of India from time to time.~~

17. Power to relax.

Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may be ordered for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commission relaxability of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons or post.

हिमाचल प्रदेश सरकार  
तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक सर्व<sup>अधीगिक प्रशिक्षण विभाग ।</sup>

संख्या:- स्स०ज्य०वी०(टीई)बी(२)।/ ८५-।।

दिनांक:- १५/८/६७

### अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक दारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक सर्व अधीगिक प्रशिक्षण विभाग में बुनाई अनुदेशक पद की बाबत संलग्न अनुज्ञा 'अ' के अनुसार निम्नलिखित भर्ती सर्व प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः (1)

इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक सर्व अधीगिक प्रशिक्षण विभाग, बुनाई अनुदेशक वर्ग-।। अराज-प्रश्ना पंत्रित पद के भर्ती सर्व प्रोन्नति नियम । १९८७ है।

(II) ये नियम इस अधिसूचना के जारी किये जाने को तरों से प्रदत्त होंगे।

(2) पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतनमान, 2.  
अंहंतार्स और भर्ती की पदति :

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक सर्व अधीगिक प्रशिक्षण विभाग में बुनाई अनुदेशक पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतनमान अंहंतार्स और भर्ती की पदति रेसी होगी जैसी उपायकरण में विस्तृदृष्ट है।

(3) नियन्त्रण और व्यावर्ता:

3. इस विभाग की अधिसूचना सं० ।-१५० ६९ स्स०ज्य०(स्था दिनांक २३ जनवरी १९७।) दारा अधिसूचित बुनाई अनुदेशक के पदोंके लिए भर्ती सर्व प्रोन्नति नियम स्तर दर्शाता नियन्त्रण किस जरूरते है।

: 2:

परन्तु ऐसे निरसन से, कठित नियमों से पूर्व प्रवर्तन या उनक तद्धीय को गई किसी बात या कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं होता।

अदिश द्वारा

अत्तर शिंह

दित्तारुद्धर सर्व सचिव तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक सर्व औषधीय प्रशिक्षण विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: एस०टी०वो०(टोर्ड)बी०(२)४/८५-।।, तारीख शिमला-२ १५-१०-१९८५

एक प्रति निलिखित को सूचनार्थ सर्व उचित कार्रवाई के लिए प्रेषित :-

१. समस्त सचिव/संकुत्सचिव/उप सचिव/जवार सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-२।
२. सभस्त विभागाध्यक्ष हिमा चल प्रदेश।
३. नियन्त्रक मुद्रण सर्व लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश शिमला को निवेदन है कि वे अजपत्र असाधारण में प्रकाशित करें और इस की 75 प्रतिधीं इस विभाग को भेजें ताकि नियमों की प्रतियाँ विधान सभा को भेजी जा सकें।
४. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक सर्व औषधीय प्रशिक्षण विभाग हिमाचल प्रदेश शुद्धरनगर जिला मण्डी (१० प्रतिधी)
५. उप विद्यि परामर्शी हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-२।
६. सहायक विधायी प्रापकार (हिन्दी) हिं०प्र० सचिवालय।

४/८८८

(हरि चन्द  
अत्तर सचिव (तकनीकी शिक्षा)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

तदूनीकी शिक्षा व्यवसाधिक रखें और गोपनीय प्रशासन निभाचल प्रदेश में युनाई अनुदेशक<sup>(6)</sup>  
वग-3 अराजपत्रित के पद के लिए भर्ता रखें प्रान्ति नियमः -

1. पद का नामः	युनाई अनुदेशक ।
2. घर्दी की संख्या:	5 (पाँच)
3. वर्गक्रियणः	वर्तीय वर्ग(अराजपत्रित)
4. वेतनमानः	620-1200
5. चयन पद अथवा अवधि वर्गः	अवधि वर्ग
6. सीधी भर्ती किस जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयुः	18 से 32 वर्ष

परन्तु सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा तदर्थ थे संविदा पर नियुक्त सहित, पहले ही सरकार की सेवा में रत अध्यार्थीयों पर लागू नहीं होगी।

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अध्यार्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख की अधिकवय हो गया हो तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के दारण विहित आयु में शिथलीकरण के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु यह और कि अनुबृचित जाजियों/अनुसृचित जनजतियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में उतना ही शिथलीकरण किया जा सकेगा जितना कि हिमाचल प्रदेश के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुशेष्य है।

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में अमिलन से पूर्व सरकारी कर्मचारों थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में छोड़ देनी ही रियायत दी जायेगी जैसी सरकारी कर्मचारीयों को अनुशेष्य है किन्तु इस प्रकार जी रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसी कर्मचारी बन्द हो नहीं दी जाएगी जो पश्चात्तर्ता ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों दारा नियुक्त किया गया थे/किया गया है आर उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से अमिलन किया गया है/किया गया थे।

#### टिप्पणी १

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस दर्जे के प्रथम दिन से दी जाएगी जिसने अवेदन आमंत्रित करने के लिए ध्यास्थिति छोड़, विज्ञापिता पा नियोजनलालयों को अनुबृचित किया जाते हैं।

#### टिप्पणी २

अन्यथा इस्तर्हित अध्यार्थीयों की दशा में सीधी भर्ती के लिए अध सीमा ओर अनुभव अद्योग के विवेकाद्यार शिथल की जा सकेगा।

7. सीधी भर्ती किस जौने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अवृत्तार्थः

### अनिवार्य

(1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से मंदिर या इसके समरूप्य।

(2) स्नॉसी०ली०टी० द्वारा मान्यता प्राप्त संवंधित व्यावसाय में राष्ट्रीय/प्रभाग पत्र तथा इसके समरूप्य।

(3) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या विसी प्रतिष्ठा प्राप्त औद्योगिक संस्थान में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव।

### यांचनीय अवृत्तार्थ

(1) दूस्तकारी प्रशिक्षण संस्थान से। वर्ष के प्रशिक्षण प्राप्त विषयों की अधिमान दिया जाएगा।

(2) हिमाचल प्रदेश की बूरुषियों रीतियों और लोकियों का ज्ञान आर प्रदेश में विधान विशिष्ट दशाओं में नियुक्त के लिए उपयुक्त।

आए नहीं।

शैक्षिक अवृत्तार्थ नहीं।

दो वर्ष, जिसका स्क वर्ष में अनधिक दैसी आर अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा संक्षम प्राप्तिकारी विशेष प्रतिष्ठितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

शत प्रति शत सीधी भर्ती द्वारा

8. सीधी भर्ती किस जौने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आए या शैक्षिक अवृत्तार्थ प्रोन्ति की दशा में लागू होगी या नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो तो:

10. भर्ती की पद्धति:  
भर्ती सीधी होगी या प्रोन्ति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा आर विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती जाने वाली शाक्तियों की प्रतिशतता:

11. प्रोन्ति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियों, जिससे प्रोन्ति प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा।

टिप्पणी-

प्रोन्ति के सभी मामलों में पद पूर्ण नियमित नियुक्ति त्रै पूर्व संभरण पद में 31.12.1983 तक की गई तदर्थ सेवा कोई कोई हो, प्रोन्ति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवा काल के लिए नियन्त्रित शर्तों के अधीन रहते हुए, हिसाब में लो लास्टग्री-

(क) उन सभी मामलों में जहाँ कोई कनिष्ठ व्यक्ति संभरण पद में उपने तुल सेवा काल (31.12.1983 तक की गई तुल तदर्थ सेवा को शामिल करके) के आधार पर उपयुक्त नियिष्ट उपचर्क्यों के कारण विचार के लिए पात्र हो जाता है, तहाँ उससे विशिष्ट सभी कान्ति विचार के लिए पात्र पर्याप्त जाएगी। आर विचार करते समय कनिष्ट व्यक्ति से ऊपर रखे जाएं।

: 3:

पान्तु प्रेन्ति के लिए हिचार खिल जाती है जी भी प्रतिशिलाओं  
की हड्डी से का तीन टर्प उनका बहलास देता है इसे भी  
संघ प्रेन्ति नियमों में लिहित रहता, जो नहीं था है, लोने वाहिस

पान्तु यह और जी जहाँ ऐसे व्यक्ति कर्गामी पान्तु का है  
अपेक्षातारों के दारप्रेन्ति के हिचार लिये राणव हो जाता है  
हाँ उसे दनिष्ट व्यक्ति भी इसी प्रेन्ति के हिचार के लिए  
अपावृणश जाएगा ।

(ब) इसी प्रकार, सार्वजनिक के सभी नामों में ऐसे पद पर नियम है  
पद 31.12.1983 तक की प्रवृत्ति तर्फ देता रहा है, अब तक  
के लिए हिचार में लो जाएगी ।

(ग) पान्तु स्थानकरण के परिपालन कर्त्ता देता है हिचार ने जेवा  
पारस्पारिक व्यवस्था, अपरिवर्तित रहेगी ।

31.12.1983 के पश्चात वीर्य तर्फ देता प्रेन्ति/स्थानकरण  
के प्रयोगन के लिए हिचार में वही लो जाएगी ।

टिप्पणी 2 जब सभी नियम 2 के अनुसार पदों में लोकार्थी होती है तो  
10 अम 11 के उपकर्त्ता, सारकार द्वारा लोक देता, आये  
परमाम तो पुनरार्थीत किए जाएंगे ।

12. यदि हिचार प्रेन्ति  
समिति विधान हो तो  
उसको सार्वजनिक  
देता है उसका दारा अपावृण  
पर गठित हो जाएगा ।

13. भूती करने में जिन  
प्रतिक्रियों में हिचार  
प्रदेश लोक, सेवा अधीन  
से पाराश दिया  
जाएगा ।

जेवा के हिचार दारा अपावृण  
है हिचार यारी के नियम  
अवश्य में चाहिए :-

सभी भूती किस जने वाले  
व्यक्तियों द्वारा लिए जाएंगे ।

भारत नामक  
नेपाल की प्रजा है  
भूती प्रजा है  
किसी शासन भूती है नवार्थ  
1962 से उसे लोकों ले  
किए हैं उसे लोकों ले  
आ रहे ।

(द) (३)  
राजीव जी है व्यक्ति जाने,  
गिरिजान भूती लोक, उमा कण्ठ  
देशों यह इन्द्रिया द्वारा  
नियम द्वारा देजनिए  
पहले द्वारा जीवित है ।

...4...

जांचिया, नालबा, जेपर और इथोपिया से, भारत में शायी नियाँ के व्याय  
से प्रदात विधाँ होः :

**परन्तु प्रवर्ग(घ)(ग)(घ)और (ड) के अस्थार्थी**  
ऐसे व्यक्ति हों जिनके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्राप्तयन्वय  
जारी किया हो ।

ऐसे अस्थार्थी को, जिनके पात्रता में पात्रता का प्राप्तयन्वय  
पक्ष आवश्यक हो, हिंगचल प्रदेश लौक ऐवा आणीग या अन्य भर्ती  
प्राधिकरण द्वारा संचालित परोक्षा । लालाल्हार में प्रदेश कियो या स्वेच्छा  
किन्तु उसे नियुक्ति का प्रक्षाल, भारत सरकार द्वारा उसे पात्रता का  
अपेक्षित प्राप्तयन्वय जारी किसे जनि के पश्चात ही किया जायगा ।

15.

अधिकारी भर्ती द्वारा पद पा  
नियुक्ति है लिए चलन ।

अधिकारी भर्ती के प्राप्ति में, पद पर नियुक्ति  
दें निर चलन, अधिक परोक्षा के अधिक पर  
ओर एटी यथार्थिति, हिंगचल प्रदेश लौक  
ऐवा आणीग या अन्य भर्ती प्राधिकरण  
ऐसा करन्पु अवश्यक या एकोर्मन है,  
लिखित पारेका को क्लावहार्ट-परोक्षा है  
आधार पर किया गरागा, जिसा जरूर  
/पाठ्यद्रम यथार्थिति, आणोग/ अन्य भर्ती  
प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जायगा ।

16.

जारक्षण

जल ऐवा में नियुक्ति, हिंगचल सरकार  
द्वारा सभ्यरप्ति पूर अनुमति लाएयों  
/अनुमति जनजातियों/ किंवदं वर्गीय  
अन्य प्रतर्ग हैं व्यक्तियों के सिवायाक्षर की  
प्राप्त जारी किसे गर अदिर्यों के रूपम  
होगी ।

17.

शिक्षित करने की शक्ति :

जहाँ राज्य सरकार की यह राज ही कि  
ऐसा बाना अवश्यक है या जीवन  
तो पहल कारणों की अनित्यितताएँ तो  
लोक सेवा जल्दी के प्रतर्ग हैं इन्हीं  
द्वारा, हिंगचल प्रदेश लौक-परोक्षा के  
किन्हीं व्यक्तियों को किसी तर्फ या व्यक्तियों के प  
के प्रतर्ग या पदों की बाधत, शिक्षित  
कर लायेंगी ।